आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ23(34) लेखा/आकाशि/छात्रवृति/2019–20/ 931 दिनांक :– 22/01/2020

समस्त प्राचार्य
राजकीय/निजी महाविद्यालय/
राज्य वित्त पोषित/निजी विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– छात्रवृति आवेदन पत्र अग्रेषण के संबंध में दिशा–निर्देश।
संदर्भ :– विभाग द्वारा प्रसारित छात्रवृति विज्ञप्तियों के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित विज्ञप्तियों के संबंध में छात्रवृति राशि का पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में ऑन–लाईन अन्तरण किया जाना है। अतः उक्त छात्रवृतियों संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में निम्नानुसार क्रियान्वयन किया जावे :–

1 आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति, महिला योग्यता छात्रवृति, उर्दू छात्रवृति, स्वतंन्त्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृति, मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृति, भारत पाक व चीन युद्ध में मृतक/अपंग सैनिकों के बच्चों/उनकी विधवाओं को छात्रवृति, ललित कला छात्रवृति (स्कूल ऑफ आर्टस/संगीत संस्थान), राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पृत्रियों को देय छात्रवृति, कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति, मिलीट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृति, विभाग द्वारा प्रसारित छात्रवृति योजना के आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में योजनावार अलग–अलग एक्सल सीट (सॉफ्ट कॉपी) व हार्ड कॉपी में तैयार कर प्रस्तुत करें।

2 संलग्न प्रपत्र में आधार कार्ड नं. व भामाशाह कार्ड नं. (जन आधार कार्ड नं.) सहित समस्त कॉलम की पूर्ति अनिवार्य रूप से की जावे भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) की प्रति संलग्न करावें तथा आय प्रमाण–पत्र की मूल प्रति संलग्न करावें।

3 संस्था प्रधान प्राप्त आवेदन पत्रों की सम्पूर्ण जांच कर मय संलग्नको के अपनी अभिशंषा सहित निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से निर्धारित स्थान आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।

4 संस्था प्रधान महाविद्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को अग्रेषण से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता की जांच कर लें।

5 निर्धारित तिथि पश्चात किसी भी छात्रवृति का आवेदन पत्र आयुक्तालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6 संस्था प्रधान/विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा डाक से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

7 आधे–अधूरे/बिना संलग्नकों के प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

8 संस्था प्रधान संलग्न प्रारूप में सॉफ्टकॉपी तैयार कर संबंधित आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर में व्यक्तिशः प्रस्तुत कर, प्राप्ति रसीद लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त दिये गये निर्देशों का पालन कठोरता से किया जावे ताकि पात्र विद्यार्थियों को तत्काल छात्रवृति स्वीकृत कर उनके बैंक खातों में राशि अन्तरित की जा सके।

संलग्न :– सॉफ्टकॉपी प्रारूप।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ23(34) लेखा/आकाशि/छात्रवृति/2019–20/ 932 दिनांक :– 22/01/2020

प्रतिलिपि प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।

(राजकुमार मीना)
वित्तीय सलाहकार

चाही गई समस्त सूचनाओं की पूर्ति अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में की जावे। (कृपया font -"Times New Roman" एंव font size "14" काम में ले।)

Name of college :-

District :-

Scholarship Name :-

S. No.	Fresh/ Ren.	Name of Student	Father/ Husband Name	Gender (M/F)	Date of Birth	category (GEN/OBC/ SBC/MIN/S [illegible]	Address	Mobile	Bhamashah card no.	Aadhar No. (Without Space)	Income	Last Year Exam %	Class	UG/ PG	Date of Admission	Bank Name	Branch Name	IFSC (11 Digit)	MICR Code	Bank Account No (Maximum 16 Digits)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				